

बिहार सरकार
संसदीय कार्य विभाग

॥ अ धि सू च ना ॥

संख्या-सं0का0-1 / वि0मं0(सत्र)01-01 / 2025-814 / पटना, दिनांक-18.11.2025

बिहार राज्यपाल का दिनांक-17.11.2025 का निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की सूचना के लिए इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

“भारत के संविधान के अनुच्छेद 174(2) के उप खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, आरिफ मोहम्मद खां, बिहार का राज्यपाल, इसके द्वारा बिहार विधान सभा को दिनांक-19.11.2025 के प्रभाव से विघटित करता हूँ।

पटना,
दिनांक-17.11.2025

आरिफ मोहम्मद खां,
राज्यपाल, बिहार।”

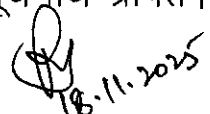
ह0/-

(राजेश कुमार)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञाप संख्या-सं0का0-1 / वि0मं0(सत्र)01-01 / 2025-814 / पटना, दि०-18.11.2025

प्रतिलिपि : प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना/सचिव, बिहार विधान परिषद् सचिवालय, पटना/मुख्य सचिव, बिहार, पटना/माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार, पटना/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, बिहार, पटना/ माननीय मंत्री के आप्त सचिव, संसदीय कार्य विभाग, पटना/ सरकार के सभी विभाग/ महाधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय/निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना/गृह मंत्रालय (पॉल- 1 ए शाखा), भारत सरकार, नई दिल्ली/अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना (बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ)/आई0टी0 मैनेजर, संसदीय कार्य विभाग (विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ) को सूचनार्थ प्रेषित।


18.11.2025
सरकार के अपर सचिव।

बिहार सरकार
संसदीय कार्य विभाग

:: अधिसूचना ::

पटना, दिनांक-18.11.2025

संख्या-सं0का0-1/वि0मं0(सत्र)01-01/2025-815/ अधिसूचना संख्या-814 दिनांक-18.11.2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(राजेश कुमार)

सरकार के अपर सचिव।

GOVERNMENT OF BIHAR
DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS

:: NOTIFICATION ::

Patna, Dated-18.11.2025

No.- P.A.-1/V.M.(Session)-01-01/2025-814/ The Following order of the Governor of Bihar dated-17.11.2025 is hereby published for general information :-

“In exercise of the powers conferred on me by sub-clause (b) of clause (2) of Article 174 of the Constitution of India, I, Arif Mohammed Khan, Governor of Bihar, hereby dissolve the Bihar Legislative Assembly with effect from 19.11.2025

Patna,
The 17th November, 2025

Arif Mohammed Khan,
Governor of Bihar.”

Sd/-

(Rajesh Kumar)

Additional Secretary to Govt.

Memo No.- P.A.-1/V.M.(Session)-01-01/2025-815/ Patna, Dated-18.11.2025

Copy forwarded for information to Secretary In-charge, Bihar Legislative Assembly, Patna / Secretary, Bihar Legislative Council, Patna / Chief Secretary, Bihar, Patna/ Principal Secretary to Hon'ble Governor of Bihar, Patna/ Principal Secretary to Hon'ble Chief Minister, Bihar, Patna/ Private Secretary to Hon'ble Minister, Parliamentary Affairs Department, Patna/ All Department of Government/ Advocate General, Bihar, Patna/ Director, Information & Public Relations Department, Bihar, Patna/ Ministry of Home Affairs, Government of India (Political-1 (a) Sec.) New Delhi/ Superintendent, Secretariat Press, Gulazarbagh, Patna for publication in extra ordinary gazette/I.T. Manager, Parliamentary Affairs Department, Patna for publication on departmental website.


18.11.2025

Additional Secretary to Govt.